



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13042021-226541
CG-DL-E-13042021-226541

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1462]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 12, 2021/चैत्र 22, 1943

No. 1462]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 12, 2021/CHAITRA 22, 1943

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2021

का.आ. 1573(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 503D के कि.मी. 0 किमी से 22 कि.मी. तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन कि तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-503D तक की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	पंजाब	अमृतसर	बाबा बकाला	1 सुरो पड्डा (108)

		NH503D के कि.मी. 0 से 22 तक				<table><tr><td>2</td><td>कोहाटविंड मुसलमाना(105)</td></tr><tr><td>3</td><td>कोहाटविंड हिंदुआन (104)</td></tr><tr><td>4</td><td>मलिक नांगल (106)</td></tr></table>	2	कोहाटविंड मुसलमाना(105)	3	कोहाटविंड हिंदुआन (104)	4	मलिक नांगल (106)
2	कोहाटविंड मुसलमाना(105)											
3	कोहाटविंड हिंदुआन (104)											
4	मलिक नांगल (106)											

[फा. सं. NHAI/PIU/Patna-Ara-Sasaram/LA/2021]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th April, 2021

S.O. 1573(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 0 to Km. 22 of the NH503D for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of PUNJAB.

SCHEDULE**Land acquisition on National Highway No. 503D in the State of PUNJAB.**

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	District Revenue Officer	0KM To 22KM	PUNJAB	AMRITSAR	Baba Bakala	1 Suro Padda (108)
						2 Kohatwind Musalmana (105)
						3 Kohatwind Hinduan (104)
						4 Malik Nangal (106)

[F. No. NHAI/PIU/Patna-Ara-Sasaram/LA/2021]

RAJESH GUPTA, Director